

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/11/2023 को संपन्न 497वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 495वीं एवं 496वीं बैठक क्रमशः दिनांक 08/11/2023 एवं 09/11/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 495वीं एवं 496वीं बैठक क्रमशः दिनांक 08/11/2023 एवं 09/11/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं कन्सट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स उजियारपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय), ग्राम-उजियारपुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2413)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 428535/ 2023, दिनांक 10/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-उजियारपुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 865, 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4, कुल क्षेत्रफल- 1.73 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,099.5 टन (14,321.25 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशांसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 865, 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4, कुल क्षेत्रफल- 1.73 हेक्टेयर, क्षमता-68,261.37 टन (24,379.06 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

01/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 28/02/2023 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/02/2024 तक वैध है।

माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 06/11/2023 के पैरा 16 के अनुसार "In view of the above lines used, it is mandatory provision that in all such cases fresh EC must be issued by the SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted Environmental Clearance by SEIAA. In the matter where the EC has not been granted by the SEIAA must not be permitted to continue." तथा पैरा 18 के अनुसार " There is no ambiguity and no illegality in the order and are speaking orders. In light of the above facts, we direct the Chief Secretary & Member Secretary of State of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh to strictly comply with the orders issued by the MoEF&CC and order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Deepak Kumar case and the orders of this Tribunal passed in Satyendra Pandey (Supra) in letter and spirit and only such mining leases may be continued which have been appraised and granted fresh Environmental Clearance by the SEIAA only." का उल्लेख है।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्वप्रमाणित जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 865 नग वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के पृ. ज्ञापन क्रमांक 24/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	5,735
2019-20	19,085
2020-21	23,510
2021-22	23,862
2022-23	14,650

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उजियारपुर का दिनांक 11/11/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया

- गया है। साथ ही क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत उजियारपुर का दिनांक 24/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान, इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 772/खनिज/उ.या.अ./2022-23 कोरबा, दिनांक 23/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 164/खनिज/उ.प./2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक हैं।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 163/खनिज/उ.प./2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में दक्षिणी भाग में लगभग 125 मीटर की दूरी पर जलाशय एवं दक्षिण-पश्चिम भाग में लगभग 15 मीटर की दूरी पर कच्ची सड़क अवस्थित है।
 6. लीज का विवरण – लीज श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2014 से 28/09/2024 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/09/2024 से 28/09/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
 7. भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 865 श्री दयाराम, श्रीमती रामबाई, श्रीमती अहिल्या बाई, श्रीमती मुनिया बाई एवं श्री नन्दूराम तथा खसरा क्रमांक 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2011 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 28/02/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.2 कि.मी. की दूरी पर है।
 10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-जामपारा 500 मीटर, स्कूल ग्राम-बरबसपुर 2.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बरबसपुर 2.8 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.9 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 11.1 कि.मी., मौसमी नाला 1.6 कि.मी., तालाब 420 मीटर एवं नहर 260 मीटर दूर है।
 11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,48,016 टन, माईनेबल रिजर्व 2,31,106 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,19,551 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,435 वर्गमीटर है। उत्खनन ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (सतह से 6 मीटर गहराई एवं 9 मीटर हिललॉक) है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,850 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	40,033.00
द्वितीय	40,027.68
तृतीय	40,019.70
चतुर्थ	40,059.60
पंचम	40,099.50

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र है अतः उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है तथा लीज क्षेत्र की पश्चिमी भूमि उत्खनन किया जाना संभव नहीं है अतएव वृक्षारोपण कार्य ग्राम से खदान पहुंच मार्ग में एवं लीज क्षेत्र की पश्चिमी भूमि में संयुक्त रूप से किया जाएगा। परियोजना अनुसार 1,916 नग (1,166 नग वृक्षारोपण पहुंच मार्ग में एवं 750 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र की पश्चिमी भूमि) वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है, वर्तमान में 865 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,062 नग पौधों के लिए राशि 1,06,200 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,02,500 रुपये, खाद के लिए राशि 95,800 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि के लिए राशि 95,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,99,500 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 11,43,200 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वृक्षारोपण हेतु सतही योजना (Surface Plan) के साथ जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पहुंच मार्ग (खसरा क्रमांक 878, 853 व 842) में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत उजियारपुर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र एवं बांध के मध्य 4,094 वर्गमीटर क्षेत्र गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.34	2%	0.7468	Following activities at, Village - Ujyarpur	
			Plantation around village pond	0.9
			Total	0.9

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर 40 नग (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 13,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत उजियारपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 550, क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
19. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊंचाई भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने, इस प्रकार भण्डारित उपरी मिट्टी का निरीक्षणकर्ता/ अधिकारी को उनके निरीक्षण/ भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार सीमा स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों

को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नाला, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
 - ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
 - iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोतों में छोड़ा जावेगा।
 - iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
 - v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
 - vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
- प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 420 मीटर तथा नहर 260 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
 27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
 28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 214 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114/2014 Common Cause vs. Union of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।
 30. आवेदक द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 2.7 कि.मी., अस्पताल 2.80 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 500 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.ग. गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी

क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:-

- i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।
 - iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।
 - v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।
 - vi. हमारे द्वारा ग्राम में स्थित तालाब में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत तालाब के चारों ओर आम के विभिन्न प्रजातियों, जामुन एवं कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण देखभाल किया जावेगा।
 - vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
 - viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS के रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जाएगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।
32. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी आफिस मेमोरेंडम में दिये गये निर्देशों के बिंदुवार पालन किया जावेगा।
35. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी. ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

36. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 164/खनिज/उ.प./2022 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-उजियारपुर) का क्षेत्रफल 1.73 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स उजियारपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय) को ग्राम-उजियारपुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के खसरा क्रमांक 865, 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1.73 हेक्टेयर, क्षमता-40,099 टन (14,321 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स यूटोपिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट (लक्ष्मी एसोसिएट्स), ग्राम-पोटियाकला, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2238)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/411321/ 2022, दिनांक 21/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मनीष पेट्रोल पम्प के सामने, पोटियाकला रोड, तहसील व जिला-दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक – 15002 (पुराना खसरा क्रमांक 21/1, 13/8 अन्य 14), क्षेत्रफल – 4.9168 हेक्टेयर (7.0460 हेक्टेयर में से) कुल कंस्ट्रक्शन एरिया-35,620.35 वर्गमीटर में प्रस्तावित टॉउनशीप प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 115 करोड़ होगा।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप गांधी, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी में एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/05/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जसदीप गांधी, पार्टनर एवं श्री शशांक खेतान, पार्टनर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स रामपुरम-1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत तिमेड़), ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2422)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429160/2023, दिनांक 13/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। खदान ग्राम-रामपुरम, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 25, कुल क्षेत्रफल-1.215 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता-12,150 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 473वीं बैठक दिनांक 28/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गोटा मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत तिमेड़ उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव इन्द्रावती नदी से रेत उत्खनन का है, परंतु गूगल मैप में देखने पर चिंतावागु नदी है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से समिति के समक्ष आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स अग्रसेन खनिज उद्योग (बहनाकाड़ी लाईम स्टोन क्वारी, प्रो.- श्री दिनेश गोयल), ग्राम-बहनाकाड़ी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2317)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420012/ 2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 01/03/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 03/04/2023 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बहनाकाड़ी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 16, कुल क्षेत्रफल-1.676 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/05/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश गोयल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 16, कुल रकबा-4.14 एकड़, क्षमता-25,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण

समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/06/2022 की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3201/खलि/न.क्र./उ.प./2023 रायपुर, दिनांक 23/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	3,800
2018-19	24,800
2019-20	7,750
2020-21	16,100
2021-22	6,800
2022-23	11,600

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बहनाकाँड़ी का दिनांक 06/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख.लि./उ.प. 276/2009/3149 रायपुर, दिनांक 01/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 421/ख.लि./तीन-6/2023 रायपुर, दिनांक 14/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 179.853 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 421/ख.लि./तीन-6/2023 रायपुर, दिनांक 14/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 200 मीटर के भीतर स्थित है।
6. लीज का विवरण – लीज मेसर्स अग्रसेन खनिज उद्योग, प्रो.- श्री दिनेश गोयल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/01/2011 से 13/01/2021 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/01/2021 से 13/01/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि श्री दिनेश गोयल, श्री अशोक गोयल एवं श्री महेश गोयल के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/3169, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से मोहरेंगा नेचर सफारी 18 कि.मी., बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य 66 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 282 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। समिति का मत है कि संचालित खदान से निकटतम आबादी, स्कूल, अस्पताल एवं जल निकाय आदि की दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,38,000 टन, माईनेबल रिजर्व 5,51,573 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,96,416 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,027.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। बेंच की

ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,000	षष्ठम	25,000
द्वितीय	25,000	सप्तम	25,000
तृतीय	25,000	अष्टम	25,000
चतुर्थ	25,000	नवम	25,000
पंचम	25,000	दशम	25,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,611 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 335 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 1,276 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से 14 मार्च, 2023 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 421/ख.लि. /तीन-6/2023 रायपुर, दिनांक 14/03/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 179.853 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बहनाकाड़ी) का रकबा 1.676 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बहनाकाड़ी) को मिलाकर कुल रकबा 181.529 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project Proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project Proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iii. Project Proponent shall submit the top soil & Overburden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project Proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project Proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project Proponent shall submit information regarding the distance from the lease area to the nearest habitation, nearest school and nearest hospital & water bodies.
- viii. Project proponent shall submit the consent letter from land owners for mining.
- ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- xiii. Project proponent shall submit production details to till date from the mining department.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit the DPR and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR and undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स मुढीपार लाईम स्टोन माईन प्रोजेक्ट (प्रो.- श्रीमती उमा बाई वमी), ग्राम-मुढीपार, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2427)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429472/2023, दिनांक 17/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मुढीपार, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 126/2, 126/3, 126/4, 127/2, 127/3, 127/4, 128/2, 128/3 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल-2.11 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-14,896.52 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती उमाबाई वर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 126/2, 126/3, 126/4, 127/2, 127/3, 127/4, 128/2, 128/3 एवं 128/4, कुल क्षेत्रफल— 2.11 हेक्टेयर, क्षमता—20,327.89 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 09/01/2022 की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:—

“9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1281/बी 3-3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023

द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	3,700
2019-20	15,700
2020-21	13,000
2021-22	600
2022-23	8,000

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्ति दिनांक 09/01/2023 के उपरांत कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है। अतः समिति का मत है कि दिनांक 09/01/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भद्रापाली का दिनांक 26/08/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो उप संचालक (खनि. प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 727/ख.लि./तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 05/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1281/बी 3-3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 577.064 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1281/बी 3-3/न.क्र./2023 बलौदाबाजार, दिनांक 09/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- लीज का विवरण – लीज श्रीमती उमाबाई वर्मा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/05/2011 से दिनांक 23/05/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 24/05/2021 से 23/05/2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
- भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 126/2, 127/2, 128/2 श्रीमती बिंदेश्वरीबाई एवं खसरा क्रमांक 126/3, 127/3, 128/3 श्रीमती गीता बाई खसरा क्रमांक 126/4, 127/4, 128/4 आवेदक के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – समिति का मत है लीज क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र/अभयारण्य की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-मुढ़ीपार 600 मीटर, स्कूल बलौदाबाजार 8 कि.मी. एवं अस्पताल बलौदाबाजार 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। तालाब 2.3 कि.मी. एवं नहर 90 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,02,420 टन, माईनेबल रिजर्व 1,05,345 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 94,810 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,870.03 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी /ओवर बर्डन की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,327.89
द्वितीय	14,896.52
तृतीय	14,896.52
चतुर्थ	14,896.52
पंचम	14,896.52
षष्ठम	14,896.52

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,402 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,870.03 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,264.64 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. फाईल से अवलोकन करने पर पाया गया कि खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पूर्णतः उत्खनन का कार्य किया जा चुका है। समिति का मत है कि खदान की वर्तमान स्थिति के अनुसार उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) तैयार कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 900 वर्गमीटर क्षेत्र को रैम्प डेव्हलपमेंट हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्ति दिनांक 09/01/2023 के उपरांत कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है? यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः दिनांक 09/01/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा से निकटतम वन क्षेत्र/अभयारण्य की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान की वर्तमान स्थिति के अनुसार उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनःभराव प्लान (Restoration plan) तैयार कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. मेसर्स मधोता लाईम स्टोन माईन (प्रो.- श्री रामगोपाल नेताम), ग्राम-मधोता, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2442)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/429557/2023, दिनांक 20/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मधोता, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक – 57, 58, 240 एवं 241, कुल क्षेत्रफल-1.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 6,840 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 475वीं बैठक दिनांक 14/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स फरहदा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री अरुण कुमार नशीने), ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2450)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/430200/2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-फरहदा, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक - 599 एवं 600, कुल क्षेत्रफल-1.715 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती सतिन्दर कौर), ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2449)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429852/2023, दिनांक 22/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 295, कुल क्षेत्रफल - 0.63 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स लो-ग्रेड लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री महेन्द्र प्रसाद गुप्ता), ग्राम-नंदपुरा, तहसील व जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2454)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430454/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नंदपुरा, तहसील व जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1463, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-9,750 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स सन्नी स्टोन क्रशर (भैंसगांव लाईम स्टोन क्वारी, प्रो.—श्री सतवीर सिंह), ग्राम—भैंसगांव, तहसील व जिला—बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2455)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430373/2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—भैंसगांव, तहसील व जिला—बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1065/1 एवं 1065/2, कुल क्षेत्रफल—2.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—36,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 19/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण होने

के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. मेसर्स क्वीन्स ग्रीन इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवागांव-तूता (सेक्टर-24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2181)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 67156/ 2021, दिनांक 31/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/405169/ 2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-नवागांव-तूता (सेक्टर-24), झांझ लेक, मुक्तीधाम के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक - 4/2 एवं अन्य 196 खसरे, क्षेत्रफल - 56.17 हेक्टेयर (134 एकड़) में प्रस्तावित रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ गोल्फ कोर्स एवं एमेनिटिस के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ होगा।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 497वीं बैठक दिनांक 28/11/2023:

समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023 में आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा कर परिवेश पोर्टल में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है। समिति द्वारा नस्ती का पुनः अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन के संबंध में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज में विरोधाभास होने के कारण समिति द्वारा अनुशंसित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि एवं अर्थदण्ड राशि की पुनः गणना किया जाना आवश्यक है। उक्त की पुनः गणना

किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की आगामी आयोजित बैठक में रखे जाने हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से ऑनलाईन के माध्यम से नस्ती मंगाया जाना आवश्यक है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को पुनः विचार किये जाने हेतु वापस भेजे जाने बाबत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।



सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़



(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स उजियारपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
को खसरा क्रमांक 865, 866, 867, 876/1, 876/2, 876/3 एवं 876/4, कुल लीज
क्षेत्र 1.73 हेक्टेयर, ग्राम-उजियारपुर, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-मनेन्द्रगढ़-
चिरमिरी-भरतपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन - 40,099 टन (14,321
घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.73 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा साधारण पत्थर साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 40,099 टन (14,321 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्रेसन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.34	2%	0.7468	Following activities at, Village - Ujjiarpur	
			Plantation around village pond	0.9
			Total	0.9

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर 40 नग (आम, जामुन, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 4,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 13,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत उजियारपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 550, क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,916 नग (1,166 नग वृक्षारोपण पहुंच मार्ग में एवं 750 नग वृक्षारोपण लीज क्षेत्र की पश्चिमी भूमि) वृक्षों का सघन वृक्षारोपण पूर्ण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 180 नग पौधों का रोपण (कुल 2,096 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।
33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।


Bel


आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।



47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सूचिव, एस.ई.ए.सी.


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.